

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक-3/प.क./सेल-2/2018/ 611
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5-06-2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।


विषय :- महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद पर नियुक्ति के सम्बंध में ।

00000

उपरोक्त विषयान्तर्गत संचालनालय के संज्ञान में यह बात आई है कि आपके जिले में संविदा आधार पर कार्यरत ए.एन.एम. के द्वारा बिना प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) के माध्यम से परीक्षा पास किये सीधे ही नियुक्ति की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं । इस सम्बंध में कुछ संविदा ए.एन.एम. के द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका भी प्रस्तुत की है । जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा उनके अभ्यावेदन का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

इस सम्बंध में अवगत कराया जाता है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 04 अक्टूबर 2013 अनुसार वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) के पद पर नियमित नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर की जाती है । विभाग में पूर्व से संविदा ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 04 अंक एवं अधिकतम 20 अकों का वेटेज/बोनस अंक विभाग द्वारा प्रदाय किये गये हैं । ऐसी स्थिति में उनके प्रकरणों में पृथक से नियमितकरण की कार्यवाही की जाना नियमानुसार संभव नहीं है ।

चूंकि ए.एन.एम. (महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के पद पर नियुक्ति कर्ता अधिकारी आप हैं अतः भविष्य में इस प्रकार का सीधे नियुक्ति हेतु कोई प्रकरण प्राप्त होता है तो सम्बंधित के अभ्यावेदन का निराकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर सम्बंधित को अवगत करावें ।


संयुक्त संचालक (प0क0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक-3/प.क./सेल-2/2018/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 ।
2. नोडल अधिकारी, (लीगल) समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम की ओर पत्र क्रमांक 575 दिनांक 10.4.18 के तारतम्य में प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार श्रीमती सरिता पटेल एवं श्रीमती संविदा देशट्टीवार संविदा ए.एन.एम. को अवगत कराएँ ।

संयुक्त संचालक (प0क0)